यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली, राजकीय आर्युविज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली, राजकीय आर्युविज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर के माह 05/2013 से माह 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपेश कुमार एवं श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री रवि प्रताप सिंह यादव, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.11.2017 तथा 06.12.2017 से 22.12.2017 तक श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

   (ii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण एवं आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। इकाई में नीट के माध्यम से 15% ऑल इंडिया कोटा एवं 85% राज्य कोटे के अन्तर्गत पूरे भारतवर्ष के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

   (iii) (अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	---	---	3704	2474	2153	1424	---	1959
2014-15	---	---	5240	2461	2340	2103	---	3016
2015-16	---	---	5395	2957	1461	1257	---	2642
2016-17	---	---	3493	2893	926	893	---	633
2017-18 (10/2017 तक)	---	---	3712	1835	858	476	---	2259

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	ब्याज से प्राप्ति	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	---	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	Construction of Centralized Medical Research Unit	शून्य	125	शून्य	25	शून्य	100
2016-17	---	शून्य	शून्य	4.95	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18 (10/2017 तक)	---	शून्य	शून्य	2.35	शून्य	शून्य	शून्य

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव/ सचिव (चिकित्सा शिक्षा विभाग)
2. अपर सचिव
3. संयुक्त सचिव
3. उप सचिव
4. अनु. सचिव
5. निदेशक
6. प्राचार्य

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में प्राचार्य, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली, राजकीय आर्युविज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली, राजकीय आर्युविज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर-1: चिकित्सकों के नियुक्ति स्थान से गायब रहने के कारण राज्य का उनकी सेवाओं से वंचित रहना एवं रु 11.70 करोड़ की वसूली का लंबित रहना।

शासनादेश संख्या 943/XXVIII(1)/2008-19/2005 TC-IV दिनांक 23/7/2008 के अनुसार:

a) 85 प्रतिशत सीटों पर यूपीएमटी से प्रवेशित छात्रों से मात्र रु. 15.00 हजार प्रतिवर्ष की रियायती दर पर एमबीबीएस के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान ट्यूशन फीस ली जानी थी एवं शेष व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। इन छात्रों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत उत्तराखंड के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय जनपदों में पाँच वर्ष की संविदा पर अनिवार्य सेवा करनी थी। अभ्यर्थी को उक्त आशय का अनुबंध पत्र प्रवेश के समय भरना अनिवार्य था तथा जो अभ्यर्थी इन शर्तों को नहीं मानेगें उन्हें राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

b) 9 सितंबर 2009 के शासनादेश के अनुसार एआईपीएमटी के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों से दुर्गम/अतिदुर्गम क्षेत्रों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत पाँच वर्ष की सेवा विषयक अनुबंध पत्र भरा जाना था तथा राजकीय सीटों के

लिए निर्धारित शुल्क की भांति रियायती दर पर रु 15.00 हजार प्रतिवर्ष की दर से शुल्क लिया जाना था। और जिन छात्रों द्वारा उक्त अनुबंध पत्र नहीं भरा जाएगा उनसे रु 2.20 लाख/वर्ष की दर से शुल्क लिया जाना था। अनुबंध पत्र भरने के संबंध में शासनादेश दिनांक 23/7/2008 अनुबंध की शर्तें लागू होगी।

c) यदि कोई अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत दुर्गम/अतिदुर्गम क्षेत्रों में पाँच वर्ष की सेवा नहीं करना चाहता है तब संबन्धित अभ्यर्थियों को रु 30 लाख की एक मुश्त धनराशि हर्जाने के रूप में राज्य सरकार के पास जमा की जानी थी।

इकाई के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2008 बैच एवं 2009 बैच के छात्रों द्वारा पूरे पाठ्यक्रम के दौरान रियायती दर रु 15.00 हजार की दर से ट्यूशन फीस दी गयी थी और सभी छात्रों द्वारा उत्तराखंड के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय जनपदों में पाँच वर्ष की संविदा पर अनिवार्य सेवा करने संबंधी शपथपत्र (Affidavit) भरा गया था तथा सितंबर 2009 शासन द्वारा अनुबंध पत्र (Bond) का प्रारूप अनुमोदित किए जाने के उपरांत दोनों बैच के छात्रों द्वारा उत्तराखंड के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय जनपदों में पाँच वर्ष की संविदा पर अनिवार्य सेवा करने के संबंध में अनुबंध पत्र भरा गया था (एआईपीएमटी के कुछ छात्रों को छोडकर)। वर्ष 2008 बैच के 62 छात्र मुख्य परीक्षा (जनवरी,2013) में, 15 छात्र Supplementary परीक्षा (मार्च, 2013) में, 12 छात्र 2009 के बैच की मुख्य परीक्षा (जनवरी, 2014) में, 02 छात्र 2009 के बैच की Supplementary परीक्षा (मई, 2014) में, 02 छात्र 2010 की मुख्य परीक्षा (जनवरी 2015) में, 02 छात्र 2011 बैच की मुख्य परीक्षा (फरवरी 2016) में तथा 01 छात्र 2011 बैच की Supplementary परीक्षा (जून 2016) में पास हुए और 03 छात्र अध्ययन कर रहें है एवं 01 छात्र की मृत्यु हो चुकी है। उत्तीर्ण 96 छात्रों में से 03 छात्र जेआरशिप कर रहे हैं और 93 छात्रों को Internship के उपरांत उत्तराखंड के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय जनपदों में पाँच वर्ष की संविदा पर अनिवार्य सेवा करने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनकी तैनाती हेतु भेजा गया था तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा उक्त डाक्टरों की विभिन्न चिकित्सालयों में नियुक्ति की गयी थी। 93 डाक्टरों मे से 03 द्वारा पीजी कोर्स किया जा रहा था तथा शेष 90 मे से 21 डाक्टर (कोर्ट के माध्यम से अनुबंधपत्र की शर्तो से मुक्त डाक्टरों को छोडकर) अनिवार्य सेवाएँ नहीं दे रहे थे (विवरण संलग्नक 'क' में दिया गया है) और ड्यूटी से गायब (Absconding) थे। इसीप्रकार वर्ष 2009 बैच के 44 छात्र मुख्य परीक्षा (जनवरी, 2014) में, 24 छात्र Supplementary परीक्षा (मई, 2014) में, 08 छात्र 2010 के बैच की मुख्य परीक्षा (जनवरी, 2015) में, 07 छात्र 2010 के बैच की Supplementary परीक्षा (अप्रैल, 2015) में, 05 छात्र 2011 बैच की मुख्य परीक्षा (फरवरी 2016) में, 06 छात्र 2011 बैच की Supplementary परीक्षा (जून 2016) में, 01 छात्र 2012 बैच की मुख्य परीक्षा (मार्च 2017) में तथा 03 छात्र 2012 की Supplementary परीक्षा (अगस्त 2017) में पास हुए और 02 छात्र अध्ययन कर रहें है। उत्तीर्ण 98 छात्रों में से 11 छात्र जेआरशिप कर रहे हैं और 04 छात्र Internship कर रहें हैं। 83 छात्रों को Internship के उपरांत उत्तराखंड के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय जनपदों में पाँच वर्ष की संविदा पर अनिवार्य सेवा करने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनकी तैनाती हेतु भेजा गया था तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा उक्त डाक्टरों की विभिन्न चिकित्सालयों नियुक्ति की गयी थी। 83 डाक्टरों मे से 03 द्वारा पीजी कोर्स किया जा रहा था तथा शेष 80 मे से 18 डाक्टर (कोर्ट के माध्यम से अनुबंधपत्र की शर्तों से मुक्त डाक्टरों को छोडकर) डाक्टर अनिवार्य सेवाएँ नहीं दे रहे थे (विवरण संलग्रक 'ख' में दिया गया है) और ड्यूटी से गायब (Absconding) थे।।

इस प्रकार वर्ष 2008 बैच एवं 2009 बैंच के 39 पास डाक्टर अनुबंध पत्र भरे जाने के बावजूद दुर्गम/अतिदुर्गम क्षेत्रों के चिकित्सालयों में सेवाएँ न देकर ड्यूटी से नौ माह से तीन वर्ष से अधिक अवधि से गायब थे। जिनमे से गायब रहने की अवधि 15 डाक्टर की तीन वर्ष से अधिक, 22 डाक्टर की एक वर्ष से अधिक एवं दो डाक्टर नौ माह से अधिक की थी। आगे दिनांक 23 दिसंबर 2016 को शासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसमें संबन्धित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को सदस्य बनाया गया था तथा समिति को पास आउट बॉन्डधारी चिकित्सकों, जिनके द्वारा कार्यभार ग्रहण न करते हुए बॉन्ड का अनुपालन नहीं किया गया है, के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने को कहा गया था। अनुबंध की शर्तो के अनुसार सेवाएँ न देने वाले 39 डाक्टरों पर न तो विधिक कार्यवाही की गयी थी और न ही रु 30.00 लाख प्रति व्यक्ति की दर से हर्जाना संबन्धित डाक्टर से वसूला गया था। इस प्रकार राज्य में चिकित्सकों की गंभीर समस्या एवं अत्यधिक कमी के बावजूद एवं रियायती दर (रु 2.20 लाख प्रतिवर्ष के बजाय रु 15000 प्रतिवर्ष) पर चिकित्सा शिक्षा देने के बावजूद राज्य चिकित्सकों की सेवा

से वंचित था और हर्जाना वसूल किये जाने संबंधी विधिक कार्यवाही न किये जाने के कारण राज्य की रु 11.70 करोड़ (रु 30.00 लाख X 39) की वसूली नहीं हो पायी थी।

आगे यह भी पाया गया कि अनुबंध प्रपत्र के साथ प्रतिभू (Sureties) व उनके गवाहों (Witnesses) के हस्ताक्षर लिए जाते समय उनके पहचान पत्रों (फोटो पहचान पत्र तथा पते का पहचान पत्र) की राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित छायाप्रतियाँ और प्रतिभू की इस आशय की घोषणा कि उनके पास अमुक अचल संपत्ति है, का समर्थन करने वाले दस्तावेज को जमा कराये जाने का न तो अनुबंध पत्र में प्रविधान किया गया था और न ही अनुबंध पत्र के साथ लिया गया था। तथा छात्र की एमबीबीएस की डिग्री भी नहीं जमा करायी गयी थी। और वर्ष 2008 बैच के दो एवं वर्ष 2009 बैच के पाँच डाक्टरों को छोडकर शेष 37 डाक्टरों के सभी मूल अभिलेख (हाईस्कूल, इंटर की मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र) भी वापस कर दिये गए थे।

राज्य के चिकित्सकों की सेवा से वंचित होने और हर्जाना वसूल किये जाने संबंधी विधिक कार्यवाही न किये जाने के कारण रु 11.70 करोड़ (रु 30.00 लाख X 39) की वसूली लंबित रहने के संबंध में पुछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि छात्रों के द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत उनकी नियुक्ति महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अधीन की जाती है तथा अनुपस्थित डाक्टरों पर कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार बॉन्ड मेडिकल कॉलेज द्वारा भराया गया था और छात्र के मूल अभिलेख भी मेडिकल कॉलेज द्वारा जमा कराये गए थे इसलिए हर्जाने की वसूली संबंधी कार्यवाही मेडिकल कॉलेज स्तर से प्रारम्भ की जानी थी। जैसा कि दिनांक 23 दिसंबर 2016 के शासनादेश में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को सदस्य बनाते हुए विधिक कार्यवाही किए जाने की बात कही गयी थी। और लेखापरीक्षा द्वारा पुछे जाने पर कि हर्जाने को वसूल किये जाने हेतु ज़िम्मेवार कौन है के संबंध में इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुबंध प्रपत्र भरे जाने के दौरान प्रतिभू व उनके गवाहों पहचान पत्र प्रमाणित छायाप्रतियाँ और प्रतिभू की अचल संपत्ति के समर्थन के दस्तावेज न लिये जाने तथा छात्र की एमबीबीएस की डिग्री भी न जमा कराये जाने से विधिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

आगे लेखा परीक्षा इस तथ्य से अवगत हुई कि वसूली की कार्यवाही/विधिक कार्यवाही पर विभागों (चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का उदासीन रवैया था क्योंकि मेडिकल कॉलेज द्वारा बताया गया कि कॉलेज द्वारा डाक्टरों को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भेजा गया एवं उनकी नियुक्ति उनके द्वारा की गयी इसप्रकार कार्यवाही की जिम्मेवारी महानिदेशक की है। जबकि महानिदेशक द्वारा गायब डाक्टरों की सूची प्रिन्सिपल को देकर पल्ला झाड़ा गया था।

अतः राज्य के बॉन्डधारी चिकित्सकों की सेवा से वंचित रहने और हर्जाना वसूल न किये जाने से कारण राज्य का रु 11.70 करोड़ की वसूली लंबित रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक 'क'

नियुक्ति के बाद सेवा से अनुपस्थित डाक्टरों का विवरण (बैच 2008)

क्र0 सं0	डाक्टर का नाम	रो0 नं0	नियुक्ति की तिथि	तैनाती चिकित्सालय	सेवा में न रहने का विवरण	अवधि
1	डा0 अमिता पुंडीर	004	10.02.2014	अति0 पीएचसी डिगधार, रुद्रप्रयाग, सीएचसी, बीरोंखाल, पौड़ी	योगदानसे अनुपस्थित	3 वर्ष, 9 माह, 19 दिन
2	डा0 अपर्णा जयाड़ा	011	10.02.2014	अति0 पीएचसी चमियाला, टिहरी, पीएचसी, दुगड्डा, पौड़ी	योगदान नहीं किया	3 वर्ष, 9 माह, 19 दिन
3	डा0 गौरव जोशी	017	26.03.2014	एसएडी, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग	3.10.14सेअनुपस्थित	3 वर्ष, 1 माह, 29 दिन

4	डा0 बुशरा रहमान	020	26.03.2014	सीएचसी, नैनीडांडा, पौड़ी	योगदानसे अनुपस्थित	3 वर्ष, 9 माह, 6 दिन
5	डा0 ज्योति शर्मा	032	04.04.2016	पीएचसी, पोखड़ा, पौड़ी	योगदानसे अनुपस्थित	1 वर्ष, 7 माह, 27 दिन
6	डा0 कनिका रावत	034	10.02.2014	अति0 पीएचसी बीरोंखाल, पौड़ी, पीएचसी, डांडामंडी, पौड़ी	लोक सेवा आयोग से चयनित	3 वर्ष, 9 माह, 19 दिन
7	डा0 मयंक	042	10.02.2014	अति0 पीएचसी बैजरों, पौड़ी	योगदानसे अनुपस्थित	3 वर्ष, 9 माह, 19 दिन
8	डा0 मोहिनी सिंह	045	10.02.2014	सीएमओ, पौड़ी	योगदानसे अनुपस्थित	3 वर्ष, 9 माह, 19 दिन
9	डा0 निशा	050	10.02.2014	अति0 पीएचसी हिसरियाखाल, टिहरी	22.04.2014 से अनुपस्थित	3 वर्ष, 7 माह, 9 दिन
10	डा0 नितेश मेरिया	053	04.04.2016	अति0 पीएचसी घेघड़खाल, रुद्रप्रयाग,	06.05.2016 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 6 माह, 26 दिन
11	डा0 पुजा अग्रवाल	055	10.02.2014	अति0 पीएचसी लम्बगाँव, टिहरी	अनुपस्थित	3 वर्ष, 9 माह, 19 दिन
12	डा0 प्राची गोखुला	057	10.02.2014	अति0 पीएचसी ऊंचाकोट, नैनीताल	अनुपस्थित	3 वर्ष, 9 माह, 19 दिन
13	डा0 प्रतिभा सिंह	058	26.04.2016	सीएचसी, नैनीडांडा, पौड़ी	योगदानसे अनुपस्थित	1 वर्ष, 7 माह, 5 दिन
14	डा0 प्रिया जादोन	059	10.02.2014	पीएचसी, चोपड़ा, रुद्रप्रयाग	14.06.2014 से अनुपस्थित	3 वर्ष, 5 माह, 17 दिन
15	डा0 पुष्कर शुक्ला	062	04.04.2016	सीएमओ, पौड़ी	28.02.2017 से अनुपस्थित	9 माह, 1 दिन
16	डा0 रिचा असवाल	065	10.02.2014	अति0 पीएचसी बेतालधार, पौड़ी	03.04.14 से अनुपस्थित	3 वर्ष, 7 माह, 29 दिन
17	डा0 सागर भटनागर	067	25.04.2016	अति0 पीएचसी घिमतोली, रुद्रप्रयाग	01.06.2016 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 5 माह
18	डा0 शिवानी चौहान	075	10.02.2014	ग्रामीण महि. चिकि., यमकेशवर, पौड़ी	योगदान नहीं किया	3 वर्ष, 9 माह, 19 दिन
19	डा0शिवानी सेमवाल	076	10.02.2014	पीएचसी, देघाट, अल्मोड़ा	अनुपस्थित	3 वर्ष, 9 माह, 19 दिन
20	डा0 स्वाति आर्या	083	10.02.14	सीएमओ, पौड़ी	योगदानसे अनुपस्थित	3 वर्ष, 9 माह, 19 दिन
21	डा0 कुनाल चौधरी	093	05.04.2016	सीएचसी, जाखोली, रुद्रप्रयाग	28.05.2016 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 6 माह, 4 दिन

संलग्नक 'ख'

नियुक्ति के बाद सेवा से अनुपस्थित डाक्टरों का विवरण (बैच 2009)

क्र0 सं0	डाक्टर का नाम	रोल नंबर	नियुक्ति की तिथि	तैनाती चिकित्सालय	सेवा में न रहने का विवरण	अवधि
1	डा0 अभिलाष धारीवाल	001	12.07.2016	सीएमओ, टिहरी	योगदान प्रस्तुत नहीं किया	1 वर्ष, 4 माह, 20 दिन
2	डा0 बी0 अंजना	012	04.04.2016	सीएचसी, छाम, टिहरी	योगदान नहीं किया	1 वर्ष, 7 माह, 27 दिन
3	डा0 ममता सौंतियाल	037	12.07.2016	सीएमओ, पौड़ी	योगदान तिथि से अनुपस्थित	1 वर्ष, 4 माह, 20 दिन
4	डा0 मेहुल सिंह गुंजियाल	045	12.07.2016	सीएमओ, पौड़ी	अनुपस्थित	1 वर्ष, 4 माह, 20 दिन
5	डा0 नमिता पूरी	047	04.04.2016	सीएमओ, पौड़ी	01.03.2017 से अनुपस्थित	9 माह
6	डा0 राशि रंजन कुकरेती	064	04.04.2016	सीएमओ, पौड़ी	07.04.2016 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 7 माह, 24 दिन
7	डा0 रश्मि	065	04.04.2016	सीएमओ, उत्तरकाशी	योगदान नहीं किया गया	1 वर्ष, 7 माह, 27 दिन
8	डा0 रीतिका बिष्ट	066	04.04.2016	एसएडी, पठालीधार, रुद्रप्रयाग	01.06.2016 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 6 माह
9	डा0 सौरव बौंठीयाल	072	12.07.2016	सीएमओ, टिहरी	योगदान नहीं किया	1 वर्ष, 4 माह, 20 दिन
10	डा0 स्मृति सिंह	080	04.04.2016	सीएमओ, नैनीताल	योगदान नहीं किया	1 वर्ष, 7 माह, 27 दिन

11	डा0 स्नेहा बाठला	081	04.04.2016	सीएमओ, नैनीताल	योगदान नहीं किया	1 वर्ष, 7 माह, 27 दिन
12	डा0 सोहित सिंघल	083	12.07.2016	सीएमओ, पौड़ी	20.07.2016 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 4 माह, 12 दिन
13	डा0 सुमित यादव	085	12.07.2016	सीएमओ, पिथौरागढ़	योगदान नहीं किया	1 वर्ष, 4 माह, 20 दिन
14	डा0 तरुण शर्मा	087	12.07.2016	सीएमओ, पिथौरागढ़	योगदान नहीं किया	1 वर्ष, 4 माह, 20 दिन
15	डा0 विनीता चंद	093	09.05.2016	सीएमओ, पौड़ी	17.05.2016 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 6 माह, 15 दिन
16	डा0 विशाल गौरब	095	12.07.2016	सीएमओ, पिथौरागढ़	योगदान नहीं किया	1 वर्ष, 4 माह, 20 दिन
17	डा0 यामिनी चंदोला	096	04.04.2016	पीएचसी, कोट, पौड़ी	योगदान तिथि से अनुपस्थित	1 वर्ष, 7 माह, 27 दिन
18	डा0 निकिता धस्माना	099	12.07.2016	सीएमओ, पौड़ी	योगदान नहीं किया	1 वर्ष, 4 माह, 20 दिन

भाग दो (ब)

प्रस्तर-1- 200 बेडेड वार्ड के निर्माण पर रु. 1394.86 लाख का परिहार्य व्यय।

मेडिकल कॉलेज के अभिलेखो की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि मेडिकल कॉलेज को एम.सी.आई. द्वारा माह अप्रैल 2013 में मान्यता प्रदान कर दी गयी थी। एम.सी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार टीचिंग हॉस्पिटल में आवश्यक बेडों की संख्या 470 थी व हॉस्पिटल में उपलब्ध बेडों की संख्या 506 थी। यह भी पाया गया कि उपलब्ध बेडों की संख्या के सापेक्ष वर्ष 2013 से 2017 के दौरान मात्र 37 से 43 प्रतिशत बेडो का ही उपयोग हो रहा था एवं लगभग 60 प्रतिशत बेडों का उपयोग नहीं हो रहा था।

पुनः मेडिकल कॉलेज के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध टीचिंग हॉस्पिटल में 200 बेडेड वार्ड के निर्माण हेतु रु. 1682.35 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिसंबर 2011 में प्राप्त हुई थी तथा स्वीकृति के साथ ही रु. 673.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी थी। उक्त निर्माण कार्य हेतु रु. 1394.86 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति माह मार्च 2013 में प्राप्त हुई थी एवं अवशेष धनराशि रु. 721.86 (1394.86-673.00) लाख भी स्वीकृति के साथ ही अवमुक्त कर दी गयी थी। कार्यदायी संस्था द्वारा माह अप्रैल 2015 में कार्य पूर्ण कर भवनों को हस्तगत करने के संबंध में प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर को पत्र लिखा गया था, परंतु कार्य पूर्ण होने के 2 वर्ष 6 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी वर्तमान तक भवन हस्तगत नहीं हुआ था तथा 200 बेडेड वार्ड वर्तमान तक संचालित नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार एम.सी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार टीचिंग हॉस्पिटल में आवश्यक बेडों की संख्या से अधिक बेड हॉस्पिटल में उपलब्ध होने के बावजूद रु. 1394.86 लाख का व्यय कर 200 बेडेड वार्ड का निर्माण कराया गया, जो कि परिहार्य था।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि एम.सी.आई. मानकों को पूर्ण करने हेतु 200 बेडेड वार्ड की आवश्यकता थी जिस कारण प्रावधान किया गया था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पूर्व में ही एम.सी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार में आवश्यक बेडों की संख्या (470) से अधिक बेड टीचिंग हॉस्पिटल में उपलब्ध (506) थे।

अतः 200 बेडेड वार्ड के निर्माण पर रु. 1394.86 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:2- एमसीआई के मानकों के सापेक्ष प्राध्यापक संवर्ग में अधिक नियुक्ति द्वारा ☐ 1.71 करोड़ का वेतन पर व्यय।

भारत सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को दिसंबर 2013 में 100 एमबीबीएस सीटों के लिए मान्यता मिली थी , जुलाई 2015 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों के लिए संवर्गवार स्वीकृति जारी की थी। सितंबर 2015 में उत्तराखंड शासन द्वारा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए संगठनात्मक ढांचा स्वीकृत किया था जिसके द्वारा 100 एमबीबीएस सीटों तथा 04 पीजी सीटों के लिए विभाग वार पदों का सृजन किया गया था।

कॉलेज के प्राध्यापक संवर्ग में अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जुलाई 2015 में एमसीआई द्वारा जारी 100 प्रवेश प्रतिवर्ष वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए संस्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत संख्या में निम्नानुसार आधिक्य है

विभाग का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	आधिक्य
Physiology	असिस्टेंट प्रोफेसर	01	03	02
Community Medicine	असिस्टेंट प्रोफेसर	02	03	01
Pathology	एसोसिएट प्रोफेसर	02	04	02*
Opthalmology	सीनियर रेसिडेंट	01	02	01

*Pathology विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के संवर्ग में 01 की कमी है जिसको एसोशिएट प्रोफेसर के आधिक्य से संयोजित किया जा सकता है इस प्रकार इस विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर एक का आधिक्य है.

इसी प्रकार निम्नलिखित विभागों में जूनियर रेसिडेंट तथा लेडी मेडिकल ऑफिसर के पदों की स्वीकृति न तो शासन के आदेशों में थी न ही एमसीआई के मानदंडों में थी फिर भी इन विभागों में जूनियर रेसिडेंट व एलएमओ संविदा पर कार्यरत हैं

विभाग का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	आधिक्य
Pathology	जूनियर रेसिडेंट	0	01	01
Pharmacology	जूनियर रेसिडेंट	0	01	01
Community Medicine	लेडी मेडिकल औफिसर	0	01	01

इस प्रकार एमसीआई के मानकों के सापेक्ष एसोसियट प्रोफेसर का एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तीन सीनियर रेसिडेंट के एक जूनियर रेसिडेंट के तीन तथा एलएमओ का एक पद आधिक्य में है जिनके वेतन पर कॉलेज द्वारा ☐ 1,71,26,461/ का व्यय किया गया है (विवरण संलग्नक में)

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि मध्य सत्र में संविदा सदस्यों के त्यागपत्र से अथवा वरिष्ठ प्राध्यापकों की कमी के कारण विद्यार्थियों के पठन पाठन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, इस औचित्य से वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत कतिपय विभागों में छात्र हित में संकाय सदस्यों को आधिक्य रूप से भी नियुक्त किया गया है एवं आधिक्य वेतन संस्थान हित/मरीज हित/ छात्र हित में आहरित किया जा रहा है ।

उत्तर मान्य नहीं है, कॉलेज में अभी अधिकतर विभागों में प्राध्यापकों की कमी है ऐसी स्थिति में कुछ विभागों में आधिक्य का औचित्य नहीं हैं।

संलग्नक

जुलाई 2015 में एमसीआई द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत कॉलेज में स्वीकृति के सापेक्ष अधिक कार्यरत पर वेतन पर किया गया भुगतान

सरल क्रमांक	नाम	पदनाम	विभाग	अवधि	कुल वेतन
01	डॉ बेहरा जोशील कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	Physiology	18.10.14	34,35,213
02	डॉ जय कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	Physiology	09.02.2017 से 30.11.2017	10,17,988
03	डॉ आरती गुप्ता	असिस्टेंट प्रोफेसर	Community Medicine	29.04.15	33,91,880
04	डॉ सचान भट	एसोसियट प्रोफेसर	Pathology	16.03.16 join	40,58,400
05	डॉ अंकुर	सीनियर रेसिडेंट	Opthalmology	16.09.2017 से 30.11.2017	1,93,632
06	डॉ अर्चना भट्ट	जूनियर रेसिडेंट	Pathology	18.11.2014 से 30.11.2017	21,77,244
07	डॉ सुनीता पंडिता	जूनियर रेसिडेंट	Pharmacology	18.11.2014 से 30.11.2017	21,77,244
08	डॉ नेहा पीपिल सोनी	लेडी मेडिकल ऑफिसर	Community Medicine	22.12.2016 से 30.11.2017	6,74,860
कुल योग					**1,71,26,461**

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर:3- नियमों के विपरीत रु. 53.52 लाख की धनराशि का अधिक भुगतान।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश संख्या 3304/XXVIII(1)/2013/03/2009 दिनांक: 12.12.2013 के अनुसार:-

i. ऐसे पद जिन पर उपनल के माध्यम से भी पदधारक उपलब्ध कराये जाते हैं, के समान पदों पर कार्यरत कार्मिकों का मानदेय शासनादेश संख्या- 323/XVII-3/ 13-09(17)/2004 दिनांक: 12.06.2013 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक-15 के अनुसार किया जाये।

ii. ऐसे पद जिन पर उपनल के माध्यम से पदधारक उपलब्ध नहीं हैं, उनके मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाये।

iii. ऐसे कार्मिक जो वर्तमान में उपनल के समकक्ष पदों को देय नियत मानदेय से अधिक मानदेय आहरित कर रहे हैं, के नियत मानदेय में कोई वृद्धि नहीं होगी।

वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली, राजकीय आर्युविज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर के संविदा कर्मचारियों से संबन्धित अभिलेखों की जांच संप्रेक्षा दल द्वारा किये जाने पर पाया गया कि लैब टैक्नीशियन के पद पर उपनल के माध्यम से भी पदधारक उपलब्ध कराये जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत कार्यरत लैब टैक्नीशियनों को वेतन रु. 10000 प्रति माह तथा पाँच वर्ष की सेवा के उपरान्त रु. 16000 प्रति माह दिया जा रहा है, जो उपनल के माध्यम से उपलब्ध लैब टैक्नीशियन के वेतन रु. 7669 से अधिक है। जांच में पाया गया कि मेडिकल कॉलेज में कार्यरत लैब टैक्नीशियनों को वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रदान की गयी, जबकि उपरोक्त शासनादेश के क्रम संख्या- i, ii व iii के अनुसार लैब टैक्नीशियन के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जानी थी।

इस प्रकार संविदा पर कार्यरत लैब टैक्नीशियनों को 10% की वृद्धि के कारण पाँच वर्ष की सेवा से पूर्व रु. 2.21 लाख तथा पाँच वर्ष की सेवा के उपरान्त माह नवम्बर 2017 तक रु. 22.03 लाख की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया।

पुनः जांच में पाया गया कि सहायक लेखाकार, आशुलिपिक, स्टोर कीपर कम क्लर्क, वाहन चालक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में भी 10% की वृद्धि दिनांक: 01.01.2015 से प्रदान की गयी है, जबकि इन सभी पदों पर उपनल के मध्यम से पदधारक उपलब्ध कराये जाते हैं तथा ये सभी उपनल के माध्यम से उपलब्ध काराए जाने वाले समान पदधारकों से अधिक वेतन भी आहरित कर रहे थे अर्थात उक्त कर्मचारियों के वेतन में 10% वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं था। 10% की वृद्धि के कारण उक्त कर्मचारियों को जनवरी 2015 से नवम्बर 2017 तक रु. 29.28 लाख की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को माह नवम्बर 2017 तक कुल धनराशि रु. 53.52 (2.21+22.03+29.28) लाख का अधिक भुगतान किया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये अपने उत्तर में बताया कि उक्त वेतन बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जा रहा है।

अतः नियमों के विपरीत रु. 53.52 लाख की धनराशि के अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-4- विभागीय उदासीनता के कारण रु. 126.15 लाख की धनराशि के उपकरणों का निष्प्रयोज्य पड़ा रहना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएँ स्पष्ट रूप सूचित की जानी चाहिये जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणों को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गई विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भंडारण लागत में अनावश्यक वृद्धि न हो।

मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में स्थापित उपकरणों से संबन्धित अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थापित MGIT, Bactec9120 एवं Phoenix का क्रय मई 2009 में कुल रु. 67.80 लाख की धनराशि का व्यय करके क्रय किया गया था एवं फरवरी 2010 में विभाग में स्थापित किया गया था, जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त उपकरणों का संचालन यू.पी.एस. बैकअप न होने के कारण विभाग में स्थापना के बाद से ही नहीं किया गया है। इसी प्रकार बायोकेमिस्ट्री विभाग हेतु BNP Analyzer व Blood Gas Analyzer मार्च 2012 में क्रय किए गए थे तथा उसी वर्ष विभाग में स्थापित किए गए थे जिन पर क्रमशः रु. 28.87 लाख व 29.48 लाख कुल रु. 58.35 लाख की धनराशि का व्यय किया गया था, साथ ही यह भी पाया गया की उक्त दोनों उपकरणों के Reagents बहुत महंगे होने व जाँच किफ़ायती न होने के कारण उक्त दोनों उपकरणों का संचालन जुलाई 2015 के बाद से नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार विभागीय उदासीनता एवं क्रय से पूर्व पर्याप्त सर्वे न किए जाने के कारण उक्त दोनों विभागों में कुल रु. 126.15 (67.80+58.35) लाख की

धनराशि के उपकरण माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सात वर्ष से भी अधिक समय से एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग में दो वर्ष से भी अधिक समय से निष्प्रयोज्य पड़े हुये थे।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि बायोकेमिस्ट्री विभाग में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उक्त उपकरण से संबन्धित रिएजेंटों को 01 वर्ष हेतु मुफ्त दिया गया था। साथ ही साथ इस प्रकार की मशीन विभाग को पहली बार प्राप्त हो रही थी, जिस कारण इससे संबन्धित जाँच नमूनों के बारे में में भी विभाग अवगत नहीं था। मशीन संचालित करने के एक वर्ष के उपरांत उक्त मशीन से से संबन्धित रिएजेंटों की लागत से विभाग अवगत हुआ तो अन्य प्रक्रिया से जाँचे करने की तुलना में उक्त उपकरण में लगने वाले रिएजेंट काफी महंगे साबित हो रहे थे। इसी प्रकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थापित उपकरणों के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि उपकरणों के संचालन हेतु वर्ष 2011 से ही प्रयास किए जा रहे हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएँ स्पष्ट रूप सूचित की जानी चाहिये जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणों को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गई विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भंडारण लागत में अनावश्यक वृद्धि न हो तथा माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थापित उपकरणों का संचालन सात वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी नहीं किया जा सका था।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण रु. 126.15 लाख की धनराशि के उपकरणों के निष्प्रयोज्य पड़े रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:5- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण व त्रुटिपूर्ण वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण रु. 3.60 लाख की धनराशि का अधिक भुगतान।

कार्यालय प्राचार्य, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली, राजकीय आर्युविज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर के अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जांच संप्रेक्षा दल द्वारा किये जाने पर पाया गया कि डॉ. विमल सिंह गुंसाई, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी का सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन लेवल 12 (ग्रेड वेतन 7600) में धनराशि रु. 1,09,100 निर्धारित किया गया, जिसके बाद दिनांक: 01.04.2016 को 13 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा एवं 07 वर्ष की पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र की सेवा पूर्ण करने पर विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (SDACP) के अनुसार लेवल 13 (ग्रेड वेतन 8700) स्वीकृत किया गया तथा वेतन रु. 133500 निर्धारित किया गया, जबकि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के अनुसार लेवल 12 में ही एक वेतन वृद्धि के उपरान्त प्राप्त राशि रु. 1,12,400 के समतुल्य या उससे उच्चतर राशि पर लेवल 13 में वेतन निर्धारित किया जाना था, जोकि रु. 1,18,500 होना चाहिए था।

पुनः जांच में यह भी पाया गया कि दिनांक: 01.07.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त वेतन रु. 137500 तथा इसी क्रम में दिनांक: 01.07.2017 को रु. 1,41,600 निर्धारित किया गया, जबकि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के अनुसार आगामी वेतन वृद्धि की तिथि दिनांक: 01.01.2017 तथा 01.01.2018 होनी चाहिए थी। इस प्रकार डॉ. विमल सिंह गुंसाई, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी को अप्रैल 2016 से नवम्बर 2017 तक कुल रु. 3.60 लाख की धनराशि का अधिक भुगतान किया जा चुका है।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये अपने उत्तर में बताया कि उक्त प्रकरण पर उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण व त्रुटिपूर्ण वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण रु. 3.60 लाख की धनराशि के अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-6- रु. 61.48 लाख की धनराशि का अवरुद्ध पड़ा रहना एवं रु. 3.52 लाख की धनराशि का निष्फल व्यय।

मेडिकल कॉलेज के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि जनवरी 2014 में अर्बन ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत 20 बेडेड इंटर्न हॉस्टल (10 बेडेड गर्ल्स इंटर्न हॉस्टल एवं 10 बेडेड Boys इंटर्न हॉस्टल) के निर्माण हेतु रु. 164.68 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा स्वीकृति के साथ ही रु. 65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त कार्य हेतु माह मार्च 2014 में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मध्य एम.ओ.यू. का गठन किया गया था तथा मार्च 2014 में ही कार्यदायी संस्था को रु. 25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। हॉस्टल एवं मेस निर्माण हेतु यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त

चिकित्सालय श्रीनगर, गढ़वाल के पीछे ही हॉस्टल एवं मेस का निर्माण किया जाए तथा संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर के एक भाग को अर्बन प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करते हुये शेष चिकित्सालय को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन रखने का निर्णय भी लिया गया था, साथ ही यह भी पाया गया कि हॉस्टल एवं मेस हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग को भूमि का स्थानांतरण किए बिना ही उक्त निर्माण कार्य हेतु मेडिकल कॉलेज एवं कार्यदायी संस्था के मध्य एम.ओ.यू. का गठन कर रु. 25 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी थी, जिसके अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया एवं अवमुक्त धनराशि में से रु. 3.52 लाख का व्यय किया गया था, जिसमें ड्राइंग डिजाइन, मृदा परीक्षण, लैंड सर्वे व नींव हेतु गड्ढे तैयार किए गए थे। वर्तमान में संयुक्त चिकित्सालय प्रशासन एवं स्थानीय संघर्ष समिति द्वारा कार्य करने में अवरोध उत्पन्न किए जाने के कारण तीन वर्ष छः माह पश्चात भी उक्त निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ था एवं उक्त निर्माण हेतु अन्यत्र भूमि का चयन नहीं हो सका था। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि में से रु. 61.48 लाख की धनराशि अवरुद्ध पड़ी थी एवं रु. 3.52 लाख की धनराशि का व्यय निष्फल था।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये बताया गया कि पूर्व में यू.एच.टी.सी. में निर्माण कार्यों के विरोध के बाद मढ़ी कॉलोनी चौरास में एक स्थान को चिन्हित किया गया परंतु यह ग्रामीण क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में संस्थान का एक आर.एच.टी.सी. कीर्तिनगर में संचालित है एवं इसके अतिरिक्त विकल्प नहीं है।

अतः रु. 61.48 लाख की धनराशि के अवरुद्ध पड़े रहने एवं रु. 3.52 लाख की धनराशि के निष्फल व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर-7- निविदा में चयनित माइक्रोस्कोप का क्रय न किए जाने के फलस्वरूप रु. 30.16 लाख का व्यायाधिक्य।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएँ स्पष्ट रूप सूचित की जानी चाहिये जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणों को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गई विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भंडारण लागत में अनावश्यक वृद्धि न हो एवं प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है।

मेडिकल कॉलेज के मशीन एवं उपकरणों के क्रय से संबन्धित अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014-15 में माइक्रोस्कोप के क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गईं थीं एवं माह अक्तूबर 2014 में विभिन्न फ़र्मों के के माइक्रोस्कोपों के डेमोस्ट्रेशन के पश्चात यूनिवर्सल साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल्स द्वारा उपलब्ध कराये गए ओलम्पस कंपनी के माइक्रोस्कोप को चयनित किया गया था, जिसका मूल्य रु. 31626 था। जाँच के दौरान पाया गया कि निविदा में चयनित माइक्रोस्कोप का क्रय न कर दिसम्बर 2014 से मार्च 2015 के मध्य, 15 क्रय आदेशों के माध्यम से कुल 135 (15*9) Binocular Microscope (Olympus CX 21i Led) क्रय किए गए थे। उक्त Binocular Microscope (Olympus CX 21i Led) का मूल्य रु. 53970 (51400+ 5% VAT) था। इस प्रकार उक्त उपकरणों को रु. 7285950 का व्यय कर क्रय किया गया था। निविदा में चयनित माइक्रोस्कोप का क्रय न किए जाने के कारण कुल रु. 3016440 [135*(53970-31626)] की धनराशि का अधिक व्यय किया गया था।

इस संबंध में पूछे जाने इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि उक्त माइक्रोस्कोपों का क्रय विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की लिखित एवं मौखिक संस्तुति के आधार पर किया गया था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों कि निविदा में चयनित माइक्रोस्कोप का चयन तकनीकी एवं गुणवत्ता संतोषजनक पाये जाने के बाद किया गया था परंतु क्रय अन्य माइक्रोस्कोप का किया गया था।

अतः निविदा में चयनित माइक्रोस्कोप का क्रय न किए जाने के फलस्वरूप रु. 30.16 लाख के व्ययाधिक्य का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-8: शासनादेश के अनुपालन न करना रु 1.50 करोड़ की वसूली न किया जाना।

शासनादेश संख्या 943/XXVIII(1)/2008-19/2005 TC-IV दिनांक 23/7/2008 में उल्लिखित किया गया था कि जो अभ्यर्थी प्रवेश की तिथि से सात वर्ष की अवधि के भीतर एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है ऐसे अभ्यर्थी को रु 30.00 लाख की धनराशि हर्जाने के रूप में एकमुश्त जमा करनी होगी तथा उसका राजकीय सेवा में नौकरी का दावा निरस्त माना जाएगा।

मेडिकल कॉलेज के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि बैच 2008 के तीन एवं बैच 2009 के दो मेडिकल छात्र वर्ष 2017 के बैच के साथ अध्ययनरत हैं। जबकि बैच 2008 के छात्रों के सात साल वर्ष 2015 में पूर्ण हो चुके थे और बैच 2009 के सात साल वर्ष 2016 में पूर्ण हो चुके थे। छात्रों का विवरण निम्न है:

Sl. No.	Roll No.	Batch year	Name of student	Father's name
1	09701100015	2008	Ashwin Kumar	Sri Surendra Kumar
2	20081102	2008	Jaivardhan	Sri Kunwar Singh
3	09701100074	2008	Shiv Kumar	Sri Bramhanand
4	2009/021	2009	Deeraj Kumar	Sri Pawan Kumar
5	2009/024	2009	Gaurav Singh	Sri Nagendra Singh

इस प्रकार पाया गया की उक्त पाँच छात्र सात वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद अध्ययन है परंतु इन पर शासनादेश के अनुसार हर्जाना रु 30.00 लाख प्रति व्यक्ति नहीं लिया गया था न ही कोई कार्यवाही की गई थी।

इस प्रकार शासनादेश का अनुपालन कर कोई कार्यवाही की नहीं गई थी और रु 1.50 करोड़ के हर्जाने की वसूली एक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी लंबित थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पुछे जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया कि शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर संबन्धित कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जुलाई 2008 के शासनादेश में पूर्व से ही उक्त कार्यवाही हेतु पूर्व से ही उल्लिखित था।

अतः शासनादेश का अनुपालन कर कोई कार्यवाही न किए जाने और रु 1.50 करोड़ के हर्जाने की वसूली एक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी लंबित रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1: मेडिकल कॉलेज में मेडिकल रिसर्च यूनिट की स्थापना के लिए आवंटित राशि का दो वर्ष की अवधि के बाद भी पूर्ण व्यय नहीं किया जाना

भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2012 में उत्तराखंड शासन को सूचित किया गया था कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में □ 06 करोड़ की लागत में एक केंद्रीयकृत Multi Disciplinary Research Unit (MRU) की

स्थापना की जानी है जिसमे अनुसंधान के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे जो कि मेडिकल कॉलेज के समस्त विभागों के उपयोग के लिए होंगे।

राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एमआरयू की स्थापना संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नवंबर 2015 में भारत सरकार द्वारा कॉलेज को एमआरयू की स्थापना के लिए □ 1.25 करोड़ की राशि जारी की गई थी इस स्वीकृति की शर्तों के अनुसार शेष राशि की दूसरी किस्त को निर्माण कार्यो के समापन, स्थानीय अनुसंधान सलाहकार समिति की स्थापना, उपकरणों के क्रयादेश जारी करने के बाद तथा तीसरी किस्त अनुसंधान समिति की दो बैठकों और संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद जारी की जानी थी।

एमआरयू की स्थापना का कार्य परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल निगम पौड़ी को दिया गया था, निगम ने दिसंबर 2016 में डीपीआर प्रस्तुत कर दी थी तथा जनवरी 2017 में कॉलेज ने कार्यदाई संस्था को रु 15 लाख तथा जुलाई 2017 में रु 10 लाख जारी किए गए थे।

कॉलेज द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार कॉलेज द्वारा □ 25 लाख की राशि का उपयोग कर लिया गया है जबकि शेष ₹ 1 करोड़ की राशि अभी भी व्यय नहीं की गई है। इस प्रकार प्रथम किस्त के आवंटन के दो वर्ष बाद भी मात्र 20% राशि का उपभोग हुआ है, जिसके फलस्वरूप कॉलेज को अगली किस्त भी नहीं मिल पाई है और एमआरयू की स्थापना में अनावश्यक विलंब हुआ है।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि एमआरयू के लिए उपकरण खरीदने के लिए निविदा प्रक्रिया गतिमान है शेष राशि को अगले 06 माह में उपभोग कर लिया जाएगा।

एमआरयू के लिए आवंटित राशि का दो वर्ष के बाद भी उपभोग नहीं कर पाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
AIR No. 12/2013-14	1, 2, 3	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
AIR No. 12/ 2013-14	प्रस्तरवार अनुपालन आख्या संलग्न की गयी है तथा अनुपालन आख्या में लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी उल्लिखित है।			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------------------शून्य-------------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली, राजकीय आर्युविज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-**

क्र॰सं॰	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ. वी.एल. जहागीरदार	प्राचार्य	14.11.11 से 27.02.14
2.	डॉ. पी.डी. शर्मा	प्राचार्य	28.02.14 से 30.07.14
3.	डॉ. अमला रानी दास	प्राचार्य	31.07.14 से 03.09.14
4.	डॉ. आई.एस. योग	प्राचार्य	04.09.14 से 07.01.16
5.	श्री वी.एस. श्रीवास्तव	वित्त नियंत्रक	08.01.16 से 26.05.16
6.	डॉ. सी.एम.एस. रावत	प्राचार्य	27.05.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली, राजकीय आर्युविज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र